

फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
इन्द्रपाल शर्मा बनाम सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर 36 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
16.07.2025	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट इन्द्रपाल शर्मा पुत्र श्री उदयराम शर्मा निवासी डी-35, सुभाष नगर, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी आयुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	

जिला कलक्टर
भरतपुर

635
17/7/25
अपील
लौटाई